

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 523 OF 2022**

IN THE MATTER OF:

Sayed Mehmood Ali Chisti

...Applicant

Versus

State of M.P.

...Respondent(s)

INDEX

Sr No.	Description	Pg No.
1.	Reply on behalf of Respondent i.e., MPPCB dated 28.09.2022 in compliance of Order dated 02.09.2022 passed by the Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in OA No. 523 Of 2022	1-5
2.	Annexures	6-24

FILED BY



RAGHAV SHARMA

Advocate for Respondent i.e., MPPCB Address:

Basement, B5-202, Safdarjung Enclave, New

Delhi - 110029

Ph. No.: (+91)-8527066461;

Email:raghav@srcolegal.in

Joint Committee Inspection Report of

In the Matter of

Original Application No.523/2022
'Sayed Mehmood Ali Chisti V/s State of M.P.'

w.r.to

Hon'ble National Green Tribunal PRINCIPAL BENCH
order dated 02.09.2022

Date of Visit: 28th September 2022

Location: Khandwa – Indore Bypass Road, Harda

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
बगर बालिका परिषद, हरदा
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
मुख्य नगर पालिका परिषद, हरदा

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मण्डीदीप

डी. के. सिंह
संयुक्त कलेक्टर

Inspection Report

Joint Inspection Report of site situated between Mukti Dham and Kabristan located at Khandwa – Indore Bypass road, District Harda (M.P.) in compliance of the direction issued by Hon'ble NGT in the Original Application No. 523/2022 (Sayed Mehmood Ali Chisti V/s State of M.P)

Hon'ble NGT (PB), Delhi vide its order dated 2nd September, 2022 in the OA no. 523/2022 "Sayed Mehmood Ali Chisti V/s State of M.P" directed in para 1 and 3 as under:

1. *Hundreds of tonnes of garbage generated from Harda town, is being thrown out on the empty space between Muktidham and Kabristan located at Khandwa – Indore Bypass Road. Dead bodies of animals including cows are also dumped, instead of cremating the same, at the above said dumping site. Old Basti named Khedi Mehmoodabad is also located near by the garbage dumping site. Every day garbage is being burnt causing serious health hazards to the local residents. Municipal Council, Harda is not taking requisite action.*

3. *In view of the allegations made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representative of the:-*

- (i) State PCB Executive Officer (M.P.).
- (ii) Municipal Council, Harda(M.P.).
- (iii) Collector, Harda (M.P.).

The Committee is directed to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and other residents of the locality, verify the factual position and submit its report within one month.

In compliance of the above direction, the site situated between Muktidham and Kabristan located at Khandwa – Indore Bypass road District Harda has been visited on dated 28/09/2022 by the Joint Committee comprised of the following officers:

1. Shri D.K Singh, Joint Collector, Harda (Representative of Collector Harda).
2. Shri Abhay Saraf, Regional Officer, M.P. Pollution Control Board, Mandideep
3. Shri Gyandra Yadav, Chief Municipal Officer Municipal Council Harda District Harda.


भुरग्य नमर पानिका अधिकारी
नगर बालिका परिषद, हर्दा


क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मण्डीदीप


डी. के. सिंह
संयुक्त कलेक्टर

The main issues raised in the petition by the Applicant are as under:-

1. Hundreds of tonnes of garbage generated from Harda town is being thrown out on the empty space situated between Muktidham and Kabristan located at Khandwa – Indore Bypass road. Dead bodies of animals including cows are also dumped, instead of cremating the same, at the above said dumping site. Old Basti named Khedi Mehmoodabad is also located near by the garbage dumping site
2. Every day garbage is being burnt causing serious health hazards to the local residents. Municipal Council, Harda is not taking requisite action


All the Joint Committee members assembled at dumping site of Municipal Council Harda, District Harda which is located near Muktidham and Kabristan located at Khandwa – Indore Bypass road Harda. The petitioner Mr. Sayed Mehmood Ali Chisti, a Senior Journalist, was also present during the inspection. During the joint committee visit, the geographical location, photographs and other relevant information related to the petition were collected and are incorporated in the report.

Observations:

1. GPS location of the dumping site of Municipal Council Harda, District Harda has been recorded using a mobile-based GPS application. The google map of the site and photographs taken during the inspection are enclosed as **Annexure-01**. The geographical coordinates of dumping site Harda are 22.336506 N, 77.078254 E and marked on google map. The residential area is located adjacent to site in North-West direction.
2. As informed, the site was around 70-80 years old dumping site existing in an area of 1.09 hectare where the complete solid wastes generating from the Harda city is being dumped unscientifically manner. Approximate 16000 Tons of Municipal waste has been dumped at this site.
3. The land of this site belongs to Municipal Council Harda. The land documents are enclosed as **Annexure-02**.
4. During the inspection it has been observed that Municipal Council Harda is not comply with the Solid Waste Management Rules, 2016 and directly dumping through tractor– trolley at the dumping site without segregation of the waste. No barbed fencing around the site has been provided.


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, हरदा


क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मण्डीदीप


डी. क. सिंह
संयुक्त कलेक्टर

5. At the time of inspection burning of solid was not observed at the site by the committee members. However petitioner inform that during the summer season some anti-social elements/Rag pickers burned the solid waste which may causes health issue to local residents but no such kind of information given by the local residents. CMO of Municipal Council Harda has also filed the FIR against such kind of burning activities. The copy of FIR is enclosed as **Annexure-03**.
6. The Municipal Council Harda has provided material recovery facility and composting facility near by the dumping site which was found non-operational during the inspection. The above facilities has established at the adjacent to river Ajnal. CMO, Harda informed that due to heavy flood in the river in this rainy season the near by area submerged. Due to this MRF centre and composting facility has been discontinued and is going to start shortly
7. Present site is not suitable for the disposal of Solid waste so that CMO Harda has requested to commissioner, UADD for allotment of suitable site. The copy of request letter is enclosed as **Annexure-04**.
8. As informed by the CMO Harda, dead body of animals including cows are being disposed in proper manner by using deep burial method and during the inspection no dead animals were found at the site.
9. This has been informed by the CMO Harda that Municipal Council Harda , under SBM 2.0 has drafted action plan for Dumpsite Remediation as per Govt norms and DPR for the same has been prepared and has been submitted to the Division for approval, upon which the tenders will be floated for the same. The copy of Action plan and DPR is enclosed as **Annexure-05**.

Conclusion:-

The solid waste of the Harda city is continuously being dumped unscientifically in the open land and the arrangements for segregation, processing of waste and sanitary landfills are not available at the site for the disposal of solid waste as mentioned in the SWM Rule 2016.

Recommendations:

1. According to the Solid Waste Management Rules 2016, the responsibility of collection, segregation, storage, transportation, treatment and disposal of Municipal solid waste lies with the local body hence Municipal


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, हार्दा


क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मण्डीटीप


डॉ. के. सिंह
संयुक्त कलेक्टर

Council, Hard should comply with the Solid Waste Management Rules 2016.

2. Site should be immediately fenced & movement of animals in the area should be restricted. The petitioner Mr. Sayed Mehmood Ali Chisti, has also requested the same for immediate action.
3. Municipal council, Harda shall immediately start the material recovery facility and composting facility at the site.
4. Municipal council, Harda should take immediate initiation with District administration for the allotment of new landfill site & shall comply with all provisions of Solid Waste Management Rules 2016.


(Gyandra Yadav)
Chief Municipal Officer
Municipal Council Harda
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, हरदा


(Abhay Saraf)
Regional Officer
MPPCB, Mandideep
क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मण्डीदीप


(D.K. Singh)
Joint Collector,
District Harda
डी.के.सिंह
संयुक्त कलेक्टर

Photograph of the visit on 28.09.2022

Annexure-01



Visit of committee member with petitioner





Harda, Madhya Pradesh, India
 83PH+95, Harda, Madhya Pradesh 461331, India
 Lat 22.336696°
 Long 77.078158°
 28/09/22 01:29 PM GMT +05:30

 GPS Map Camera

Discussion with CMO Municipal Council Harda.



Harda, Madhya Pradesh, India
 83PH+95, Harda, Madhya Pradesh 461331, India
 Lat 22.336379 Long 77.078156
 28/09/22 01:42 PM GMT +05:30

 GPS Map Camera

 237° SW



MRF Centre Municipal Council Harda.

ANNEXURE 03

Copy of FIR against Illegal Burning of Fire

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 टेंड प्रक्रिया सहिता के तहत)

1. District (जिला): हरदा

P.S. (थाना): सिविल लाईन

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0526

Year (वर्ष): 2021

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 27/10/2021 13:49 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा टें सं 1860	270
2	भा टें सं 1860	285
3	भा टें सं 1860	34

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): रविवार
Date From (दिनांक से): 24/10/2021
Date To (दिनांक तक): 24/10/2021
Time Period (समय अवधि): पहर 7
Time From (समय से): 19:30 बजे
Time To (समय तक): 19:50 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 27/10/2021
Time (समय): 13:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 017

Date & Time (दिनांक और समय): 27/10/2021 13:49

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 0.5 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): मुक्तीधाम के पास ट्रेचिंग, ग्राउण्ड हरदा

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम):

District(State) (ज़िला (राज्य)):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरदा तर्फे उनि संदीप पवार थाना सिविल लाईन हरदा
(b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1981 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	नगर पालिका परिषद हरदा, सिविल लाईन, हरदा, मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	नगर पालिका परिषद हरदा, सिविल लाईन, हरदा, मध्य प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अजात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अजात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	वाहन क्र. MP 47 ME 6875 का चालक			1. अजात, सिविल लाईन, हरदा, मध्य प्रदेश, भारत

2	एक अन्य			1. अजात, सिविल लाईन, हरदा, मध्य प्रदेश, भारत
---	---------	--	--	---

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):
11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):
- S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मै थाना सिविल लाईन हरदा में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ कि थाने से एक आवेदन श्रीमान थाना प्रभारी महोदय द्वारा जाँच हेतु प्राप्त हुआ है जिसके अवलोकन से पृथम दृष्टया आरोपी गणों के विरुद्ध अपराध धारा 270, 285, 34 भादवि का पाया जाने से आरोपीगणों के विरुद्ध अपराध धारा का कायम किया जाता है। आवेदन पत्र हस्व जेल है। कार्यालय नगर पालिका परिषद हरदा जिला हरदा म.प्र. क्रमांक 4449/सा.प्र./2021 हरदा दिनांक 25/10/2021 प्रति, थाना प्रभारी सिविल लाईन थाना हरदा विषय वाहन क्रमांक MP47 ME6875 के वाहन चालक एवं उसके साथी के विरुद्ध FIR दर्ज कर कठोर कार्यवाही करने विषयक। महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि नगर पालिका हरदा खण्डवा बायपास के समीप नगर पालिका हरदा का ट्रेचिंग ग्राउण्ड है जहाँ पर नगर पालिका का कचरा संग्रहण किया जाता है। विगत कई माहो से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ट्रेचिंग ग्राउण्ड में लगभग प्रत्येक माह में कचरे में आग लगा दी जाती है। कचरे में आग लगने के कारण ट्रेचिंग ग्राउण्ड के आस पास एरिया में धुआ फैलता है जिसकी वजह से लोगो की आँख में जलन एवं सास फूलने की शिकायत निर्मित होती है। जिसका स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पडता है। इस मामले को लेकर आये दिन जन सुनवाई एवं सी. एम. हेल्प लाईन में शिकायत की जाती है। अज्ञात व्यक्तियों के इस कृत्य के कारण जहाँ लोगो के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पडता है वही आस पास के एरिये में आग लगने की भी प्रबल संभावना बनी रहती है। जिसके कारण कभी कभार जन अक्रोश की भी स्थिति निर्मित हो जाती है और नगर पालिका को फायर बिग्रेड भेजकर रात में भी ट्रेचिंग ग्राउण्ड की आग को बुझाने पडता है। कल रात दिनांक 24/10/2021 को लगभग साढे सात बजे विषयांतर्गत वाहन क्रमांक के वाहन चालक एवं उसके साथी द्वारा ट्रेचिंग ग्राउण्ड में आग लगायी गयी। जिसका नगर पालिका के कर्मचारियो द्वारा प्रत्यक्ष में अवलोकन किया गया एवं उक्त कृत्य का वीडियो भी तैयार कराया। वीडियो की कॉपी प्रदर्शन हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है उसमें वाहन क्रमांक वाहन चालक एवं उसके साथी स्थल पर खडे है जिनके द्वारा आगजनी का काम अंजाम दिया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर नियमानुसार उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने कष्ट करें। जिससे की भविष्य में उनके द्वारा या अन्य के द्वारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जा सके। हस्ता. अंग्रेजी में अस्पष्ट मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद, हरदा पृ. क्रमांक 4450/सा. प्रा./2021 हरदा दिनांक 5/10/2021 प्रतिलिपि:- 1- कलेक्टर महोदय, जिला हरदा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित। 2- पुलिस अधीक्षक महोदय जिला हरदा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद हरदा आवेदन पत्र से अपराध धारा का कायम कर जाँच में लिया गया।

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद्र सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है।) or (या)

(1) Registered the case and took up the investigation: Sandeep pawar(SI (Sub-Inspector)) /
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): 1

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):
No.(सं.):
Rank (पद):

to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम):

Rank (पद):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): Sandeep pawar
Rank(पद): SI (Sub-Inspector)
No.(सं.): 1

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि जात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म)	Build (बनावट)	Height (cms.)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					

Deformities/ 8	Teeth 9	Hair (बाल) 10	Eyes (आँखें) 11	Habit(s) 12	Dress Habit(s) (पहनावा) 13	Others (अन्य) 20

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फॉर्म -I)

--	--	--	--	--	--

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)

ANNEXURE 04

Letters regarding allotment of land for Solid waste Management in Harda

नगर परिषद संकल्प क्रमांक 1049 हरदा दिनांक 29.11.2019

विषय क्रं. 4- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये भूमि आबंटन हेतु वास्ते विचारार्थ।

संकल्प क्रं. 1049 - प्रकरण प्रस्तुत किया गया। नगर पालिका हरदा की वर्तमान में आबादी लगभग पन्चयान्चे हजार के लगभग है। नगर पालिका में एक मात्र कचरा संग्रहण केन्द्र है। वह भी बिल्कुल शहर के समीप है। जिसका क्षेत्रफल लगभग दो एकड़ है। शहर के कचरे के उचित प्रबंधन के हिसाब से यह भूमि पर्याप्त नहीं है। अतः शहर की निकट भविष्य में बढ़ती हुई आबादी को दृष्टिगत रखते हुए शहर से 10 से 20 कि.मी. के बीच कहीं भी कचरे के उचित प्रबंधन एवं निष्पादन हेतु 10 से 15 एकड़ जमीन की मांग जिला प्रशासन/शासन से की जावे। जिससे की शहर के निकले हुए निष्पादित कचरे का उचित निष्पादन एवं प्रबंधन किया जा सके। एतद् आशय का संकल्प पारित किया जाता है।

सही/अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, हरदा

(सत्यप्रतिनिधि)

12/11/22

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, हरदा

Ph. : 222238
Resi : 222024

कार्यालय नगर पालिका परिषद, हरदा जिला - हरदा (म.प्र.)

क्र.

दिनांक 6/10/2021

ज्ञापन

प्रति,

मान0 मुख्यमंत्री महोदय
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

विषय:- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु भूमि आवंटन बावत्।

महोदयजी,

निवेदन है कि निकाय के पास वर्तमान में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपयुक्त एवं पर्याप्त भूमि उपलब्ध ना होने से ठोस अपशिष्ट का ठीक ढंग से प्रबंधन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में शहर का कचरा वार्ड क्र. 31 में मुक्तिधाम के पास डम्प किया जा रहा है जो नदी व नाले के करीब होने एवं बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में होने से यह स्थान उपयुक्त नहीं है।

पूर्व में न्यायालय कलेक्टर हरदा के आदेश दिनांक 23/03/2005 द्वारा ग्राम अबगॉवकला की भूमि खसरा नम्बर 3/3 में से 7.689 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 3/4 में से 2.428 हेक्टर इस प्रकार कुल 10.117 हेक्टर भूमि उपरोक्त कार्य हेतु इस निकाय को आवंटित की गई थी, किन्तु यह भूमि पूर्व से उद्यानिकी विभाग के अधीन होने से उद्यानिकी विभाग द्वारा उपरोक्त न्यायालय कलेक्टर हरदा के उल्लेखित आदेश की अपील माननीय आयुक्त महोदय के न्यायालय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद में की गई, जिसमें आयुक्त महोदय द्वारा कलेक्टर महोदय हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23/03/2005 को यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि यह भूमि चूंकि किसी अन्य विभाग के अधीन है तो बिना उस विभाग के समर्पन किये ऐसी भूमि किसी अन्य विभाग को हस्तांतरित नहीं की जाना चाहिये।

इसके उपरांत न्यायालय कलेक्टर हरदा के आदेश दिनांक 27/05/2011 द्वारा तत्कालिक तौर पर समस्या के निराकरण हेतु ग्राम रिछाडिया की भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 1.61 एकड़ भूमि का हस्तांतरण किया गया था। चूंकि शहर का तेजी से विकास होने के साथ ही निकाय की सीमा वृद्धि होने से एवं 05 नये वार्ड का गठन होने के कारण ग्राम रिछाडिया की 1.61 एकड़ भूमि अपर्याप्त होने से अनउपयुक्त सी हो गई। इस कारण परिषद संकल्प क्र. 993 बैठक दिनांक 29/11/2019 द्वारा उक्त भूमि गौ-शाला/कांजी हाउस निर्माण कराने का निर्णय लिया जाकर परिषद संकल्प क्र. 1049 दिनांक 29/11/2019 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य हेतु 10 से 15 एकड़ भूमि शहर के नजदीक उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन से मांग करने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि शीघ्र अतिशीघ्र ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य हेतु शहर के नजदीक उपयुक्त एवं पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Suresh Jain

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद, हरदा

कार्यालय नगर पालिका परिषद, हरदा (जिला-हरदा)

क्रमांक 691 / रा.शाखा / 2022 /

हरदा, दिनांक 17 / 02 / 2022

प्रति,

कलेक्टर महोदय
जिला हरदा

विषय:- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य योजना हेतु भूमि आबंटन करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नगरीय क्षेत्र हरदा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण नगर पालिका के उत्सर्जित होने वाले कचरों का वैज्ञानिक तरीके से निपटान नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में नगर पालिका हरदा के पास मात्र दो एकड़ जमीन नगर आबादी बस्ती एवं अजनाल नदी के बिल्कुल समीप होने के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कार्य योजना को बनाया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान न होने के कारण नगर पालिका हरदा को स्वच्छता सर्वेक्षण के वार्षिक सर्वे में उल्लेखनीय स्थान नहीं मिल पा रहा है। शासन से बार बार नगर पालिका हरदा को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देश दिये जा रहे हैं, परन्तु उक्त कार्य हेतु पर्याप्त भूमि नहीं होने के कारण अभी तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कार्य योजना नहीं तैयार हो सकी है। नगर पालिका हरदा की परिषद ने अपने संकल्प क्रमांक 1049 दिनांक 29/11/2019 के द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भूमि के आबंटन का संकल्प पारित किया है। संकल्प की छायाप्रति संलग्न है। वर्तमान में नगर पालिका से मात्र साढ़े सात किमी दूर ग्राम नहाड़िया में मध्यप्रदेश शासन के स्वामित्व की लगभग 28 हेक्टेअर भूमि मौजूद है। उक्त भूमि का खसरा नजरी नक्शा एवं फोटो ग्राफ अवलोकन हेतु संलग्न है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त शासकीय भूमि में से 15 एकड़ भूमि (लगभग 6 हेक्टेअर) नगर पालिका हरदा को आबंटित करने का कष्ट करें। जिससे कि नगर पालिका हरदा की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कार्य योजना क्रियान्वित की जा सके।

संलग्न-1- न0पा10 हरदा परिषद, के संकल्प की सत्यापित प्रति।

2- शासन की भूमि का खसरा एवं नजरी नक्शा ,

3-भूमि के फोटोग्राफ की प्रति।

पृ0 क्रमांक 692 / रा.शाखा / 2022 /

प्रतिलिपि- अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(ज्ञानेन्द्र कुमार यादव)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, हरदा
हरदा, दिनांक 17/02/2022

(ज्ञानेन्द्र कुमार यादव)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, हरदा

Ph. : 222238
Resi : 222024

कार्यालय नगर पालिका परिषद, हरदा
जिला - हरदा (म.प्र.)



दिनांक २१/०१/२०२२

कलेक्टर महोदय,
हरदा जिला-हरदा

विषय:-ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य हेतु भूमि उपलब्ध कराने बावत्।

---00---

विषयांतर्गत अनुरोध है कि निकाय के पास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं होने से प्रबंधन कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम नहाड़िया/नहालखेड़ा में पहाड़ी के पास राजस्व विभाग की लगभग 30 एकड़ भूमि रिक्त है, जो हरदा नगर से लगभग 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, इस भूमि के आस-पास कोई ग्राम भी स्थित नहीं है। यह भूमि उक्त कार्य हेतु आवंटन कराने का कष्ट कीजियेगा।

Surendra Kumar
अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद, हरदा

(12)

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय जी,
हरदा जिला हरदा म.प्र.।

- आवेदक - 1. नितेश आ. श्री विजय कुमार
2. विजय कुमार आ. श्री गुलाबचंद्र
3. मोहित आ. श्री चन्द्रशेखर

विषय - न.पा. को बेस्ट मटेरियल के लिये भूमि हेतु।

महोदय जी,

विनम्र निवेदन है कि हम आवेदकगण निवासी कसेरा मोहल्ला हरदा के स्थायी निवासी है। हमारी पारिवारिक भूमि क्रमशः निम्न प्रकार से है।

1. नितेश कुमार प.ह.न. 44/9 खसरा नं. 3/4 रकबा 0.809 हेक्टेयर
2. विजयकुमार प.ह.न. 44/9 खसरा नं. 3/3 रकबा 0.809 हेक्टेयर
3. मोहित कुमार खसरा नं. 3/2 रकबा 0.890 हेक्टेयर खसरा नं. 3/6/2 रकबा 0.629, 1.619 है।

उपरोक्त समस्त भूमि का रकबा 18 एकड़ स्थान बैरागढ़, वार्ड क्र. 31 (नीमगांव, सामरधा रोड) गैस गोदाम हरदा पर स्थित है।

उक्त भूमि हम "सालिड बेस्ट मटेरियल" के किये नगरपालिका का किराये पर या विक्रय हेतु दोनों शर्तों पर देने चाहते हैं। उक्त भूमि सभी प्रकार से शुद्ध है, कहीं भी दान रहन नहीं है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रारूप पर विचार कर उक्त भूमि का अवलोकन कर, प्रस्ताव भेजे जाने की कृपा करें।

दिनांक - 28/4/2022

जयपालय कलेक्टर, हरदा
शाखा *CMs/10/2*
29 APR 2022
अधीक्षक *2*

2875
215722

आवेदक

मोहित चंद्रवंशी हरदा
मो. 9826741401

Mohit

28/4/22

28/4

कार्यालय नगर पालिका परिषद, हरदा जिला-हरदा

क्रमांक / स्वा0वि0 / 2022 / 2669

हरदा, दिनांक 26/05/2022



प्रति,

आयुक्त महोदय
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल म0प्र0

विषय:-

न0पा0 हरदा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कार्ययोजना हेतु निजी स्वामित्व की भूमियों को क्रय करने/किराये पर लेने के संबंध में मार्गदर्शन देने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि न0पा0 क्षेत्र हरदा में उत्सर्जित होने वाले कचरों के उचित निपटान हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कार्ययोजना तैयार किया जाना है परंतु शहर के 10-15 किलोमीटर क्षेत्र में कोई शासकीय भूमि उपलब्ध न होने के कारण अभी तक न0पा0 हरदा को इस कार्य हेतु कोई भूमि आबंटित नहीं हुई है। शहर के कुछ ट्रस्ट एवं निजी भूमि स्वामियों द्वारा न0पा0 हरदा को किराये पर अथवा भूमि खरीदने के लिये सहमति दी है। ये लोग न0पा0 को 15 एकड़ भूमि शहर सीमा से 2 किलोमीटर के अंदर किराये पर देने अथवा बेचने के लिये तैयार है। आवेदन की छाया प्रति अवलोकन हेतु संलग्न है।

क्या न0पा0 हरदा निजी व्यक्तियों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कार्ययोजना को क्रियान्वन हेतु किराये पर लेने अथवा खरीदने की कार्यवाही निजी/शासकीय अनुदान से कर सकती है? कृपया इस संबंध में उचित मार्गदर्शन देने का कष्ट करें।

26/5/22

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, हरदा
हरदा, दिनांक /05/2022

पृ. क्रमांक / स्वा0वि0 / 2022 /
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय, जिला-हरदा की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, हरदा

ANNEXURE 05

Documents regarding Dumpsite Remediation

कार्यालय नगर पालिका परिषद हरदा जिला हरदा

क्रमांक/स्व.भा.मि./2022/4443

हरदा दिनांक 06/10/22

प्रति,

श्रीमान कार्यपाल यंत्री महोदय,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
संभाग नर्मदापुरम (मध्य प्रदेश)

विषय :- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत लीगेंसी वेस्ट डंपसाइट रेमेडिएशन परियोजनाओं हेतु डीपीआर के अनुमोदन के संबंध में।

संदर्भ :- संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/शा-14/स्व.भा.मि./2022/15785, भोपाल दिनांक 09.09.2022

उपरोक्त विषयांतर्गत में लेख है, कि मैसर्स मार्स प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रा.लि. द्वारा दिनांक 09.09.2022 को नगर पालिका परिषद हरदा अंतर्गत कुल 0.15 लाख मैट्रिक टन लीगेंसी बेस्ट का निपटान किये जाने के संबंध में डी.पी.आर. संचालनालय को प्रस्तुत की गई है।

उक्त डी.पी.आर के संबंध में संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल म.प्र. द्वारा कुछ बिन्दुओं पर टीप अंकित करते हुये पुनः रिवाईज डी.पी.आर बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे। जिसके संबंध में फर्म मैसर्स मार्स प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रा.लि. द्वारा दिनांक 17.09.2022 को संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अंकित टीप का निराकरण करते हुए रिवाईजर डी.पी.आर राशि रूपये 80.72 लाख कंसल्टेंट द्वारा प्रस्तुत की गई है।

उक्त रिवाईज डी.पी.आर अनुमोदन किया जाकर अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु अग्रोषित है।

संलग्न :- डी.पी.आर. की दो प्रति।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद हरदा

क्रमांक/स्व.भा.मि./2022/4444

हरदा दिनांक 06/10/22

प्रतिलिपि :-


- संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म.प्र.नर्मदापुरम संभाग, की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- अध्यक्ष महोदया, नगर पालिका परिषद हरदा, की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद हरदा

Detailed Project Report (DPR)

Name of Project	:- Processing & Disposal of Legacy Waste at an existing dumpsite in Harda [Division Bhopal, District Harda]
Estimated Legacy Waste	:- ~0.15 Lakh MT
Estimated Time of Completion	:- ~ 4 Months
Estimated Project Cost	:- ₹ 80,72,900.00 (~Rs. 80.72 Lakhs)

Technical support



Disclaimer

This report is prepared on the basic data produced, analysed and obtained from the secondary sources like CDP, DPR, site visit and consultation with the stakeholder & ULB Officials. Every effort has been taken to check the accuracy of the data source however this cannot be construed as fully reliable. The objective of the report is to firm up the policy level decision making for the project. However, Consultants cannot be held responsible for the decision taken solely based on this report.

